



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273452
CG-DL-E-15062026-273452

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2880]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948

No. 2880]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.आ. 2976(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2017 के अधीन अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में -

(क) पैरा 1 में, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: - 1. सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए 3 वाट से 60 वाट तक की रेटेड शक्ति वाले प्रत्येक सेल्फ-बालास्टेड एलईडी लैंप जो 50 वोल्ट एसी से ऊपर 50 हर्ट्ज पर 250 वोल्ट एसी और भारत में निर्मित, व्यावसायिक रूप से खरीदे या बेचे जा रहे 1000 वोल्ट तक के डीसी वोल्टेज सहित कार्य करते हैं-

- (i) सभी संशोधनों के साथ भारतीय मानक 16102 (भाग 2) में विनिर्दिष्ट सभी निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करना;
- (ii) आईएस 16102 (भाग 1) के अनुसार सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए सेल्फ-बालास्टेड एलईडी लैंप के लिए भारतीय मानक ब्यूरो पंजीकरण है।

(ख) पैरा 3 में, उप-पैरा (3)

- (i) सारणी 3.2 में "30 जून, 2026" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "31 दिसंबर, 2026" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- (ii) सारणी 3.2 के बाद निम्नलिखित सारणी रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"सारणी 3.3

1 जनवरी, 2027 से 31 दिसंबर, 2028 तक मान्य	
स्टार रेटिंग	चमकदार प्रभावकारिता (लुमेन/वाट)
1 स्टार	≥ 105 और < 120
2 स्टार	≥ 120 और < 135
3 स्टार	≥ 135 और < 150
4 स्टार	≥ 150 और < 165
5 स्टार	≥ 165

सारणी 3.4

1 जनवरी, 2029 से 31 दिसंबर, 2031 तक मान्य	
स्टार रेटिंग	चमकदार प्रभावकारिता (लुमेन/वाट)
1 स्टार	≥ 120 और < 135
2 स्टार	≥ 135 और < 150
3 स्टार	≥ 150 और < 165
4 स्टार	≥ 165 और < 180
5 स्टार	≥ 180

(ग) पैरा 4 में, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

परीक्षण और सहनशीलता- (1) सेल्फ-बालास्टेड एलईडी लैंप के स्टार स्तर को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के अनुसार सारणी 4.1 में विनिर्दिष्ट परीक्षण मानकों का उपयोग सभी संशोधनों के साथ किया जाएगा, अर्थात्: -

सारणी 4.1

क्रम संख्या	परीक्षण पैरामीटर	परीक्षण मानक
1.	लैंप पावर (वाट क्षमता)	भारतीय मानक 16102 (भाग 2) सभी संशोधनों के साथ
2.	पावर फैक्टर	
3.	हार्मोनिक्स	
4.	रेडियो फ्रीक्वेंसी व्यवधान का उत्सर्जन	
5.	झिलमिलाहट	
6.	स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव	
7.	चमकदार तीव्रता वितरण, चरम तीव्रता	
8.	बीम एंगल	
9.	चमकदार प्रवाह	
10.	चमकदार प्रभावकारिता	
11.	रंग वर्णिकता और रंग प्रतिपादन सूचकांक (सीआरआई)	
12.	लाइफ	

टिप्पण: फ्लिकर और स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा

(2) स्टार रेटिंग स्तरों के लिए कोई नकारात्मक सहनशीलता नहीं होगी।

(3) स्टार रेटिंग का अवधारण करते समय विनिर्माण सहनशीलता और अन्य विविधताओं की गुंजाइश को निर्माता द्वारा राउंड ऑफ के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा, -

- (क) बिजली की खपत (वाट), चमकदार प्रवाह (लुमेन), चमकदार प्रभावकारिता (एलएम/डब्ल्यू) के मूल्यों को एक दशमलव स्थानों तक निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा;
- (ख) सभी मापे गए और परिकलित मूल्यों को IS 2:2022 (संख्यात्मक मानों को पूर्णांक करने के नियम) के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़ों की उचित संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा।

[फा. सं. 10/1/2023- ईसी]

दिवाकर नाथ मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2017 के अधीन प्रकाशित की गई थी, और इसके बाद संख्यांक का.आ. 938 (अ) तारीख 21 फरवरी, 2019, का.आ. 3631 (अ) तारीख 9 अक्टूबर, 2019, का.आ. 2178 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2020 और का.आ. 2793(अ) तारीख 27 जून, 2023 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

S.O. 2976(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Power published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, namely:—

In the said notification -

(A) In paragraph 1, the following clause shall be substituted, namely: - 1. Every self-ballasted LED lamp having a rated power from 3 watts to 60 watts for general lighting services that works on above 50 V ac up to and including 250 V ac at 50 Hz and a dc voltage up to 1000 V being manufactured, commercially purchased or sold in India shall-

- (i) meet all the performance requirements as specified in Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments;
- (ii) have Bureau of Indian Standards registration for Self-Ballasted LED Lamps for general lighting services as per IS 16102 (part 1).

(B) in paragraph 3, in sub-paragraph (3)

- (i) in table 3.2 for the words, figures and letters “the 30th June, 2026”, the words, figures and letters “the 31st December, 2026” shall be substituted.
- (ii) after Table 3.2 the following tables shall be inserted, namely: -

“Table 3.3

Valid from, the 1 st January, 2027 to the 31 st December, 2028	
Star rating	Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
1 Star	≥ 105 and < 120
2 Star	≥ 120 and < 135
3 Star	≥ 135 and < 150
4 Star	≥ 150 and < 165
5 Star	≥ 165

Table 3.4

Valid from, the 1 st January, 2029 to the 31 st December, 2031	
Star rating	Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
1 Star	≥ 120 and < 135
2 Star	≥ 135 and < 150
3 Star	≥ 150 and < 165

4 Star	≥ 165 and < 180
5 Star	≥ 180

(C) In paragraph 4, the following clause shall be substituted, namely: -

Testing and tolerance. - (1) For the purpose of determining the star level of a self-ballasted LED lamp, the test standards specified in Table 4.1, as per Indian Standard 16102 (part 2), with all amendments, shall be used, namely: -

Table 4.1

S. No	Test parameters	Test Standards
1.	Lamp power (Wattage)	Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments
2.	Power factor	
3.	Harmonics	
4.	Emission of radio frequency disturbances	
5.	Flicker	
6.	Stroboscopic effect	
7.	Luminous intensity distribution, Peak intensity	
8.	Beam angle	
9.	Luminous flux	
10.	Luminous efficacy	
11.	Colour chromaticity and colour rendering index (CRI)	
12.	Life	

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1033 (E), dated the 9th March, 2018.

Effect will be applicable w.e.f. the 1st January, 2027

(2) There shall be no negative tolerance for the star rating levels.

(3) The scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating keeping in view the following points for rounding off, -

- the values of power consumption (Watts), luminous flux (lumens), luminous efficacy (lm/W) shall be rounded off to nearest whole number upto one decimal places;
- all measured and calculated values shall be rounded off to the appropriate number of significant figures in accordance with IS 2:2022 (Rules for Rounding Off Numerical Values).

[F. No. 10/1/2023-EC]

DIWAKAR NATH MISHRA, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, and subsequently amended *vide* numbers S.O. 938 (E) the dated 21st February, 2019, S.O. 3631 (E) dated the 9th October, 2019, S.O. 2178 ((E) dated the 1st July, 2020 and S.O. 2793(E) dated the 27th, June 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.आ. 2977(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2792 (अ) द्वारा, तारीख 27 जून, 2023 की प्रकाशित अधिसूचना। उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से 3 वाट से 60 वाट तक की रेटेड बिजली वाली सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए सेल्फ-बालास्टेड एलईडी लैंप विनिर्दिष्ट करती है, जो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए 50 हर्ट्ज और 1000 वोल्ट तक के डीसी वोल्टेज सहित 250 वोल्ट एकल फेज वैकल्पिक धारा आपूर्ति पर कार्य करती है और निदेश देना है कि भारत में

निर्मित या आयात किए जा रहे ऐसे किसी भी उपकरण या उपकरणों की श्रेणी, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार लेबल पर विवरण प्रदर्शित करेंगे।

[फा. सं. 10/1/2023- ईसी]

दिवाकर नाथ मिश्रा, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

S.O. 2977(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2792 (E), dated the 27th June, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the self-ballasted LED lamps for general lighting services having rated power from 3 watts to 60 watts, that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50 Hz and a dc voltage up to 1000 V for the purpose of the said Act and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or imported in India, shall display particulars on labels in accordance with the provisions of the said Act or the regulations made thereunder.

[F. No. 10/1/2023-EC]

DIWAKAR NATH MISHRA, Addl. Secy.